भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2543

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946, (शक)

राजस्थान में श्रमिकों के लिए मजदूरी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी उपाय

2543. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में श्रमिकों, विशेषकर राजस्थान के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने का विचार है, जिससे कि उन्हें अत्यधिक तापमान एवं अत्यधिक विषम जलवायु की घटनाओं से बचाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में जलवायु अनुकूलन नीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है, जिससे कि श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार हो सके तथा उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे कि श्रमिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से स्वयं को बचाने के तरीकों को समक्ष सकें तथा उन्हें अपना सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अत्यधिक गर्मी/जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान में, रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई है, जिससे कि श्रमिकों को आजीविका के वैकल्पिक साधन मिल सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ): क्या सरकार का राजस्थान के श्रमिकों को सरकार की केन्द्रीय योजनाओं में उच्च पारिश्रमिक देने का विचार है, जिससे कि वे सही जीवन-यापन कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 लागू किया है जिसमें अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपबंध किए गए हैं। उनके कार्य करने वाले कमरों में वेंटिलेशन और तापमान, कृत्रिम आर्द्रता से संबंधित विस्तृत प्रावधान मौजूद हैं।

सरकार ने राजस्थान समेत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी कर उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि नियोक्ता और उद्योग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कामगारों पर अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारगर कदम उठाएं। इन उपायों में काम के घंटों का पुनर्निर्धारण, पर्याप्त पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करना, कामगारों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, तथा संनिर्माण कामगारों को आपातकालीन आइस पैक और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव की सामग्री उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय, नियमित आधार पर अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने वाले आउटडोर (बाह्य) कामगारों और मजदूरों को लू से बचने के तरीकों पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं।

सरकार राजस्थान राज्य समेत देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया आदि शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम स्वेच्छा से करते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटित मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, साथ ही सामाजिक समावेशन को भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जॉब मैचिंग, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, इंटर्नशिप आदि जैसी करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, समुचित सरकार के रूप में, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करती हैं।

******